

सरकार ने अधसूचि कयि नागरकिता संबन्धी नयिम

चर्चा में कयों?

गृह मंत्रालय ने अधसूचि कयि है कि सात राज्यों के कुछ ज़िलों के संग्रहक भारत में रहने वाले पाकस्तान, अफगानस्तान और बांग्लादेश से सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरकिता प्रदान करने के लिये ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर सकते हैं। राज्यों और केंद्र से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उन्हें नागरकिता दी जाएगी।

प्रमुख बदि

- गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में नागरकिता अधिनियम, 1955 की धारा 5 और 6 के तहत प्रवासियों को नागरकिता और प्राकृतिक प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिये कलेक्टरों को शक्तियाँ दी हैं।
- हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागरकिता नयिम, 2009 की अनुसूची 1 भी बदल दिया।
- नए नयिमों के तहत भारतीय मूल के किसी भी व्यक्ति द्वारा नमिनलखिति मामलों पर नागरकिता की मांग करते समय अपने धर्म के बारे में घोषणा करना अनविर्य होगा-
- भारतीय नागरकि से वविह करने वाले किसी व्यक्ति के लिये।
- भारतीय नागरिकों के ऐसे बच्चे जिनका जन्म विदेश में हुआ हो।
- ऐसा व्यक्ति जिसके माता-पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हों।
- ऐसा व्यक्ति जिसके माता-पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक रहा हो।

ध्यातव्य है कि नागरकिता अधिनियम, 1955 में धर्म का कोई उल्लेख नहीं है। यह अधिनियम पाँच तरीकों से नागरकिता प्रदान करता है: जन्म, वंश, पंजीकरण, नैसर्गिक और देशीकरण के आधार पर।

नागरकिता (संशोधन) अधिनियम, 2016

- नागरकिता संशोधन अधिनियम का प्रस्ताव नागरकिता अधिनियम, 1955 में संशोधन के लिये पारित कयि गया था।
- नागरकिता संशोधन विधियक-2016 में पड़ोसी देशों (बांग्लादेश, पाकस्तान, अफगानस्तान) से आए हनिद्व, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई अल्पसंख्यकों (मुस्लिम शामिल नहीं) को नागरकिता प्रदान करने की बात कही गई है, चाहे उनके पास ज़रूरी दस्तावेज़ हों या नहीं।
- नागरकिता अधिनियम, 1955 के अनुसार नैसर्गिक नागरकिता के लिये अप्रवासी को तभी आवेदन करने की अनुमति है, जब वह आवेदन करने से ठीक पहले 12 महीने से भारत में रह रहा हो और पछिले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में रहा हो। नागरकिता (संशोधन) अधिनियम, 2016 में इस संबंध में अधिनियम की अनुसूची 3 में संशोधन का प्रस्ताव कयि गया है ताकि वे 11 वर्ष की बजाय 6 वर्ष पूरे होने पर नागरकिता के पात्र हो सकें।
- भारत के विदेशी नागरिक (Overseas Citizen of India -OCI) कार्डधारक यदि किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

नागरकिता (संशोधन) अधिनियम, 2016 से संबंधित समस्याएँ

- यह संशोधन पड़ोसी देशों से आने वाले मुस्लिम लोगों को ही 'अवैध प्रवासी' मानता है, जबकि लगभग अन्य सभी लोगों को इस परभाषा के दायरे से बाहर कर देता है। इस प्रकार यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
- यह विधियक किसी भी कानून का उल्लंघन करने पर OCI पंजीकरण को रद्द करने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा व्यापक आधार है जिसमें मामूली अपराधों सहित कई प्रकार के उल्लंघन शामिल हो सकते हैं (जैसे नो पार्किंग क्षेत्र में पार्किंग)।

प्रस्तावित संशोधन

1. **नयितरण और संशोधन:** ओसीआई कार्ड के पंजीकरण को रद्द करने के लिये केंद्र सरकार को दी गई वसितृत शक्तियों को कम करना या एक समिति या एक लोकपाल नियुक्त करके नयितरण और संशोधन का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
2. **धर्म को आधार न माना जाए:** केवल धर्म के आधार पर आप्रवासियों को नविस में 12 के स्थान पर 6 साल की छूट देने को हटाया जा सकता है क्योंकि यह धर्मनरिपेक्षता के विचार के खिलाफ है।
3. **शरणार्थी:** शरणार्थियों की अंतरराष्ट्रीय समस्या को ध्यान में रखते हुए शरणार्थियों की स्थिति और वे किस स्थिति में भारत की नागरकिता प्राप्त

कर सकते हैं, को देखना ज़रूरी है। शरणार्थी और एक आप्रवासी के बीच स्पष्ट सीमा तय करना आवश्यक है।

आगे की राह

- कानून को लागू करने में कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिये और सभी को न्याय और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिये पूरी कोशिश की जानी चाहिये। अतीत में भी भारत ने उन शरणार्थियों को आश्रय दिया है, जिन्हें उनकी भाषा (श्रीलंका में तमिल) के कारण सताया जा रहा था। इस बलि में ऐसे अल्पसंख्यक शामिल नहीं हैं, इसलिये धार्मिक अल्पसंख्यकों की बजाय 'सताए गए अल्पसंख्यक' शब्द को शामिल करके कानून के दायरे को वस्तुतः करना आवश्यक है।

अवैध आप्रवासी

- नागरिकता अधिनियम (1955) के अनुसार, एक अवैध आप्रवासी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो भारत में बना वैध वीजा के प्रवेश करता है या वीजा परमिट की समाप्ति के बाद भी देश में रहता है।
- इसके अलावा, ऐसे आप्रवासी को भी अवैध माना जाता है जो आप्रवासन प्रक्रिया के लिये झूठे दस्तावेजों का उपयोग करता है।

भारत के वदेशी नागरिक

- OCI ऐसे वदेशी हैं जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। उदाहरण के लिये, वे पूर्व भारतीय नागरिक या मौजूदा भारतीय नागरिक के बच्चे हो सकते हैं।
- OCI बहुउद्देश्यीय, एकाधिक प्रवृत्तियों और एक आजीवन वीजा के हकदार हैं, जो उन्हें किसी भी समय और किसी भी उद्देश्य के लिये भारत आने की इजाजत देता है।

प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता

- प्राकृतिककरण द्वारा केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को (एक अवैध प्रवासी नहीं है) प्राकृतिककरण का प्रमाण पत्र दे सकती है यदि उसके पास निम्नलिखित योग्यताएँ हैं:
- वह किसी भी देश का वधिय या नागरिकता नहीं है जहाँ भारत के नागरिकों को प्राकृतिककरण के द्वारा उस देश के वधियों या नागरिक बनने से रोका जाता है।
- यदि वह किसी देश का नागरिक है और वह उस देश की नागरिकता को त्यागने का प्रयास करता है

अनुच्छेद 14

- कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा। यह अधिकार नागरिकों और वदेशियों (दुश्मन देश के नागरिक को छोड़कर) दोनों के लिये उपलब्ध है।

स्रोत : द हिंदू